कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, ज़िला बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक 216 /दो–11–2/2021, जगदलपुर, दिनांक 26 जून, 2023

आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 14 जूलाई, 2023 संध्या 5.00 बजे तक

विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिला कार्यालय के वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/bastar में उपलब्ध है ।

इस कार्यालय स्थापना के अंतर्गत स्वीकृत निम्नदर्शित पदों पर नियत वेतनमान पर सीधी भर्ती की जानी है । अतः निम्न पदों के लिए अर्हता प्राप्त इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है जो इस कार्यालय को दिनांक **14 जूलाई, 2023 को सायं 5.00 बजे** तक प्राप्त हो जाना चाहिए । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

रिक्त पदों का विवरण

क.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद					आरक्षित पद														
								अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग
1	सहायक श्रेणी–3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	02
2	आकस्मिकता निधि के पद																					
A	चौकीदार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
B	वाटरमैन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C	माली	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

महत्वपूर्ण टीपः–

1– भर्ती कार्यवाही आरक्षण रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी.(सी) कमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

2– महिलाओं को नियमानुसार होरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जावेगा। बल्कि उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकेगा।

3– भूतपूर्व सैनिक को नियमानुसार होरिजॉनटल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जाएगा बल्कि उसी प्रवर्ग के पुरूष/महिला उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकेगा।

4– विज्ञापन में कोई भी Corrigendum जारी करना व चयन प्रकिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।

5– आवश्यकता पड़ने पर पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(1) सहायक श्रेणी–3 पद के लिए

(अ) वेतनमान ₹ 19500–62000 मेट्रिक्स लेवल–4

(ब) शैक्षणिक योग्यता :

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लीकेशन (डीसीए) प्रमाण–पत्र के साथ एम एस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।
3. अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 Key depression प्रति घंटा होनी चाहिए।

(2) आकस्मिकता निधि (चौकीदार–1, वाटरमैन–1, माली–1) पद के लिए

(अ) वेतनमान : दैनिक वेतनभोगी (कलेक्टर द्वारा निर्धारित वेतन पर)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :

(I) छ0 ग0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा (पांचवी) उत्तीर्ण हो।

(II) सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें ।

आयु सीमा एवं पात्रता संबंधी शर्तें :

(1) दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो। छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ–3–2/2015/1–3 नया रायपुर दिनांक 30/01/2019 के अनुसार छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कलेण्डर वर्ष 1/1/2019 से 31/12/2023 की समाप्ति तक प्रदान की गयी है।

उच्चतम आयु सीमा में छूट:

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:

2(एक)(1) यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2(एक)(2) यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक /एफ–7–25–93/1 अस0प0 दिनांक 20/01/1994 के अंतर्गत आयुसीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2(एक)(3) छ0ग0 शासन स्थायी/अस्थायी/ वर्कचार्ज या कण्टीनजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

2(एक)(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक को, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:– छटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो, तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

2(एक)(5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हों, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हों ।

2(एक)(6) महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार दस वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

2(एक)(7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक फ1–2/2002/1/3 दिनांक 02/06/2004 के अनुसार शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षा कर्मी के रूप में सेवा की है। इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्तता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

2(एक)(8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2(एक)(9) विधवा, परित्यक्तता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

2(दो)(1) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्रजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक– सी–3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2(दो)(2) विकम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी 3/18/85/3/1 दिनांक 3/9/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप–

1– विंदु कमांक 2(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

2– विंदु कमांक 2(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट विंदु कमांक 01 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण–

यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ ग्रीनकार्ड धारी तथा विकम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विकम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3– उपरोक्त 2(एक) और 2(दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

4– कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

5– कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति/पत्नी जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

6– कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2003 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

7– इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता (अपात्रता) सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0शासन) द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. आवेदन–पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन–पत्र इस कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा, **कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर छ0ग0 पिन– 494001 के नाम पर प्रेषित किये जा सकेंगें अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त कार्यालय में दिनांक 14 जूलाई 2023 की संध्या 5.00** बजे तक बंद लिफाफे में जमा किये जा सकेंगे । विलंब की जवाबदारी स्वयं आवेदक पर होगी।

2. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर जगदलपुर के शासकीय वेबसाइट https;//districts.ecourts.gov.in/bastar पर किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को उक्त वेबसाइड से डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है।

3. आवेदन पत्र जिस पद हेतु भरा जा रहा है, उसका पदनाम लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए यदि अभ्यर्थी दो या दो से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजों के स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।

4. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे प्रत्येक पर 5/– रूपये की डाक टिकिट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो पृष्ठ भाग पर पूर्ण नाम उल्लेखित करते हुए पृथक से भेजे।

5. आवेदन–पत्र में आवेदक के फोटोग्राफ़ के साथ ही शैक्षणिक, तकनीकी, जाति प्रमाण पत्र(सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र), निवास प्रमाण–पत्र तथा रोज़गार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण–पत्र (यदि उपलब्ध हो) की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए।

6. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाणपत्र अथवा हाई स्कूल परीक्षा (भृत्य के लिए पांचवी कक्षा की स्वप्रमाणित अंकसूची) उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

7. शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से इस विभाग में भर्ती हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा ।

8. आवेदन पत्र में स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज़ रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित चस्पा होना चाहिए तथा पहचान के लिए आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

9. ई मेल, फैक्स एवं कोरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

10. आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण भरें । अपूर्ण जानकारी के आधार पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा ।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. **सहायक श्रेणी–3**

(अ) **कौशल परीक्षा–**

उम्मीदवार को 2,500 Key Depression की हिन्दी गद्यांश को, निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा । प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा । कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा ।

सहायक श्रेणी–3 हेतु अभ्यार्थियों की संख्या यदि अत्याधिक हो, तो संख्या सीमित करने के प्रयोजन से अभ्यर्थियों के स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार 10 गुणा के सीमा तक अभ्यर्थियों की छटनी की जा सकेगी ।

2. **आकस्मिकता निधि पद हेतु –**

(अ) आकास्मिकता निधि के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रकिया चयन समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

–:चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :–

कौशल परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी । प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी । समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।

नियम एवं अन्य शर्तें

1. आवेदकों का चयन प्रवीणता के आधार पर किया जायेगा ।
2. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइटः– https;// districts.ecourts.gov.in /bastar पर प्रकाशित कर तथा कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर छ0ग0 के सूचना पटल पर चस्पा कर किया जाएगा।
3. पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी। यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी को कार्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो जिला न्यायालय की वेबसाइट https;//districts.ecourts.gov.in/bastar से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा, साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज– आधार कार्ड/वाहन चालन अनुज्ञापत्र/मतदाता परिचय पत्र की जीवित मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

4. आकस्मिकता निधि को छोड़कर शेष सभी पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 03 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जायेगा तथा शासन के नियमों के अधीन तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपण्ड देय होगा–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत् अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे ।

5. चयनित आवेदकों की नियुक्ति नियत वेतन पर होगी। कर्मचारी की सेवा कभी भी बिना सूचना के एक माह का वेतन अग्रिम प्रदाय कर समाप्त की जा सकेगी।
6. अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
7. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र के अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा।
8. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने के लिए कार्यालय प्रमुख माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर छ0ग0 सक्षम होंगे।
9. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात् एवं कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा।
11. अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को चयन पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र(स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
13. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो की गयी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी साथ ही सबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

विशेष :– यह सुनिश्चित करने का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं । अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें, और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन–पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी ।

स्थान :– जगदलपुर,
दिनांक :– 26–06–2023.

26/6/2023

अध्यक्ष,
चयन समिति
परिवार न्यायालय
बस्तर, स्थान–जगदलपुर, छ0ग0

आवेदन पत्र का प्रारूप

(सहायक श्रेणी–3, आकस्मिकता निधि के पद पर नियुक्ति हेतु)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बस्तर स्थान–जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

1. आवेदित पद का नाम :..
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :..
   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :..
3. लिंग पुरूष / महिला :..
4. पिता / पति का नाम :..
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :..
   ....
   ....

   (ब) स्थाई पता :..
   ....
   ....
6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) | | | | | | | | |

   (शब्दों में) ....
   ....

   (बी) दिनांक 01 / 01 / 2023 को आयु :– .... वर्ष ....माह ....दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर : ....
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का राज्य का मूल निवासी है ? हॉं / नहीं [ ]

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? हॉ/ नहीं
(यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

12. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :..

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

14. क्या आप विवाहित है ? हॉ/नहीं

15. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

16. जीवित बच्चों की संख्या

क.	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1.	2.	3.	4.

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

18. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हॉ/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

19. स्वप्रामणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1..

2..

3..

4..

5..

6..

7..

8..

9..

10..

<u>घोषणा</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि, इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक :...............................

स्थान :...............................

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
(आवेदक का पूर्ण नाम)